माननीय श्री टी. एच. बी. चलपति जे. के समक्ष

कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन—याचिकाकर्ता

बनाम

भारत और अन्य का संघ-उत्तरदाता

सीआरएल। 1999 का एम. सं. 30331/एम

30मई, 2000

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-धारा 62-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा. 21 और 171-दंड प्रक्रिया *संहिता, 1973-धारा 190 और 1977 चुनाव आयुक्त ने मौखिक* रूप *से* मुख्य मंत्री *हरियाणा को कठोर कार्रवाई करने* की धमकी देते हुए *ंराज्य के मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया-सी. एम. अपने मताधिकार का प्रयोग करने में* विफल *रहे-* चुनाव आयोग *(ई. सी.). उच्च न्यायालय के समक्ष* उन *सभी तथ्यों और परिस्थितियों को रखने में विफल रहे जिन्होंने उन्हें इस तरह का मौखिक निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया-ई. सी. द्वारा बिना कोई कारण बताए मौखिक निर्देश देने की कार्रवाई की निंदा और* भर्तसना *की जानी चाहिए-कानून किसी भी प्राधिकरण को मौखिक आदेश पारित करने* के *लिए अधिकृत नहीं करता है-धारा 197.* दंड प्रक्रिया संहिता *न्यायालय को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है-हालांकि ई. सी. की कार्रवाई कानून के तहत आवश्यक नहीं है, फिर भी उच्च न्यायालय उस पर मुकदमा चलाने का निर्देश नहीं दे सकता है-प्रतिनिधित्वकर्ता को कानून के सक्षम न्यायालय में अभियोजन शुरू करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका खारिज कर दी गई।*

यह सत्य है कि निर्वाचन को धारा 171 ए-आई. पी. सी. *में अन्य* बातों के साथ-साथ मतदान करने या चुनाव में मतदान करने से बचने के लिए परिभाषित किया गया है।जब चुनाव आयुक्त ने बिना कोई कारण बताए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया, तो यह माननीय मुख्यमंत्री को सिरसा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के बराबर है, क्योंकि वे सिरसा में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और उन्हें राज्य मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि मौखिक निर्देश देने वाली चुनाव आयुक्त की कार्रवाई निंदा के योग्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।चुनाव आयोग को उचतम प्राधिकारी (सुपर अथॉरिटी)के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।इसे कानून की सीमाओं के भीतर काम करना होगा।इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता।चुनाव आयुक्त द्वारा इस अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि किस बात ने उन्हें राज्य के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया और जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, विशेष रूप से जब

चुनावी प्रक्रिया में हिंसा के कोई भी आरोप ना तो मीडिया में रिपोर्ट किए गए हैं ना ही मौखिक

निर्देशों में बताए गए हैं।

(पैरा 14)

इसके अलावा, कानून किसी भी प्राधिकरण को मौखिक आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो।आदेश लिखित होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए और ऐसे आदेशों के लिए आधार बताए जाने चाहिए।यह कानून का एक बुनियादी नियम है।अन्यथा, चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मौखिक रूप से टेलीफोन पर लिखित रूप में पुष्टि भेजनी चाहिए थी।चुनाव आयुक्त की कार्रवाई के संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए।

(पैरा 16)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्वाचन आयुक्त आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत परिभाषित एक लोक सेवक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197. न्यायालय को संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत व्यक्ति के मामले में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है।चुनाव आयुक्त को संघ के मामलों के संबंध में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि कानून के प्रावधानों के तहत चुनाव कराना केंद्र सरकार का कर्तव्य है और उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों पर ही पद से हटाया जा सकता है।भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों की परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।इसलिए चुनाव आयुक्त को केवल केंद्र सरकार ही हटा सकती है।इसलिए, धारा 197 लागू होती है।जब मजिस्ट्रेट दंडप्रक्रिया सहिंता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में प्रतिबंध लगाया गया है इसलिए यह न्यायालय मजिस्ट्रेट को चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश नहीं दे सकता है।इस प्रकार, यह न्यायालय चुनाव आयुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता है, हालांकि यह संतुष्ट है कि उनकी कार्रवाई कानून के तहत नहीं है और यह राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के चुनावी अधिकार का भी उल्लंघन है, जो हरियाणा राज्य के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

(पैरा 19 &20)

बहस -

श्री आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री **हेमंत सरीन,** अधिवक्ता और श्री **डी. एस. हुड्डा**, अधिवक्ता।

श्री एच. एस. मत्तेवाल, ए. जी., पंजाब।

श्री अमरजीत सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए अतिरिक्त ए. जी.।

श्री यश पाल, ए. ए. जी., हरियाणा राज्य के लिए।

श्री पी. एन. पांडे, भारत संघ के अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय टी. एच. बी. चलपति, जे.

(1) यह याचिका पंचकूला निवासी श्री कांति प्रकाश भल्ला के इस न्यायालय को संबोधित

एक अभ्यावेदन के आधार पर और मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर भी दर्ज की गई है।

(2) संसद के लिए आम चुनाव 5 सितंबर, 1999 को हुए थे। मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी निर्वाचन क्षेत्र में उक्त चुनाव में प्रचार कर रहे थे।हालांकि, 4 सितंबर, 1999 को चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी से बात की कि मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए और भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ देना चाहिए अन्यथा चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव श्री एस. सी. चौधरी और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री संजीव कौशल को भी इसकी जानकारी दी।यह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया गया था।याचिका में लगाए गए आरोपों, जो इस अदालत में किए गए एक अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हैं, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री को वोट डालने से रोक दिया गया था।

(3) इस याचिका का नोटिस हरियाणा राज्य, मुख्यमंत्री, भारत के चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह को भी दिया गया है।

(4) हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी, आई. ए. एस. ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया हैः—

> "4 सितंबर 1999 को सुबह 9 बजे के आसपास मुझे दिल्ली से भारत के चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह का फोन आया।उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चंडीगढ़ में राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए और भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, अन्यथा चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।श्री एस. सी. चौधरी, आई. ए. एस को तुरंत यही निर्देश दिए गए।, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव और श्री संजीव कौशल, आई. ए. एस., मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री को सूचित करने के लिए।"

(5) हरियाणा सरकार के राजनीतिक और सेवा विभागों के संयुक्त सचिव श्री विजय वर्धन, आई. ए. एस. ने भी एक हलफनामा दायर किया जिसमें उन्होंने कहाः—

> "उक्त स्थिति के लिए तथ्य यह है कि चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने 4 सितंबर, 1999 को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी, आई. ए. एस. से टेलीफोन पर बात की और इच्छा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री सी. एच. ओम प्रकाश चौटाला को राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए और भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ देना चाहिए और यह भी बताया गया कि यदि मुख्यमंत्री ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा।"

(6) हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओ. पी. चौटाला ने एक उत्तर दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहाः—

> यह रिकॉर्ड और तथ्य की बात है कि चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह द्वारा जारी निर्देशों पर, प्रतिनिधि ने 4 सितंबर, 1999 को हरियाणा राज्य छोड़ दिया और अपना वोट नहीं डाल सके।
>
> उक्त स्थिति का कारण बनने वाले तथ्य यह हैं कि चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने 4

सितंबर, 1999 को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी, आई. ए. एस. से टेलीफोन पर बात की थी कि प्रतिनिधि को राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए और भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ देना चाहिए और यह भी बताया गया था कि यदि प्रतिनिधि ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करेगा।

कि उक्त निर्देश तुरंत श्री एस सी चौधरी आईएएस मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दे दिए गए और श्री संजीव कौशल, आई. ए. एस., मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव को भी सूचित किया गया।उपरोक्त निर्देशों को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विष्णु, भगवान, आई. ए. एस. के संज्ञान में भी लाया गया।

कि भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री सुभाष पानी ने भी 4 सितंबर, 1999 को हरियाणा के मुख्य सचिव श्री आर. एस. वर्मा को फोन किया और उनसे कहा कि वे प्रतिनिधि को राज्य विमान प्रदान करें ताकि वह तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ सकें जो आदर्श आचार संहिता को देखते हुए मुख्यमंत्री के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।"

(7) माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एम. एस. गिल और भारत के माननीय राष्ट्रपति को भी तथ्यों का प्रतिनिधित्व किया।

(8) मुख्यमंत्री के हलफनामे को पढ़ना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने अपमानित महसूस किया।

(9) श्री जे. एम. लिंगदोह, चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा एक संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित याचिकाएं ली हैं:—

"कि प्रतिवादी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 में परिभाषित एक लोक सेवक है और कोई भी न्यायालय केंद्र सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके खिलाफ कथित किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 की अनिवार्य आवश्यकता है।जहां तक अभियुक्त की जानकारी है, आज तक ऐसी कोई मंजूरी नहीं मांगी गई है या नहीं दी गई है।नतीजतन, इस माननीय न्यायालय *द्वारा* जारी नियम निसी को केवल इसी आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए।

यह कि इस माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं लाया गया है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला मतदाता के रूप में 10-सिरसा (अनुसूचित जाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 84-डबवाली (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र पर पड़ने वाले गांव चौटाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा में भाग संख्या 151 में संख्या 297 पर पंजीकृत हैं।शिकायत के अनुसार भी श्री चौटाला को सिरसा (जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं) जाने या 5 सितंबर, 1999 को अपना वोट डालने से रोकने के लिए कभी कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किया गया था।

यह कि कोई भी अवैधता, और कम से कम कोई चुनावी अपराध, प्रतिनिधि द्वारा नहीं की गई है क्योंकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे, वे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता और सभी संबंधित लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए *गए थे।* यह भारत के

संविधान द्वारा प्रतिनिधि को दिए गए संवैधानिक कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में किया गया था।"

(10) श्री जे. एम. लिंगदोह के जवाब-हलफनामे को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने याचिका में किए गए दावों का कभी खंडन नहीं किया और प्रेस रिपोर्टों में भी कहा कि उन्होंने 4 सितंबर, 1999 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से फोन पर मौखिक रूप से बात की थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए और भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ देना चाहिए और यदि मुख्यमंत्री ने निर्देश का पालन नहीं किया तो चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करेगा।अपने हलफनामे में, श्री जे. एम. लिंगदोह ने कहा कि वह गुण-दोष के आधार पर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं ताकि बाद के चरण में उनके मामले में पूर्वाग्रह से बचा जा सके।यह ध्यान देने योग्य है कि चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि चुनाव आयुक्त अपने निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे कि मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय वापस जाना चाहिए।

(11) ऊपर दायर किए गए हलफनामों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:—

कि लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव 5 सितंबर, 1999 को हुए हैं।4 सितंबर, 1999 को हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भिवानी संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे।मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी के शपथ पत्र के अनुसार चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने उन्हें मौखिक रूप से फोन पर बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला को भिवानी निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर राज्य के मुख्यालय लौट जाना चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई करनी होगी।कांति प्रकाश भल्ला के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनाव आयुक्त का यह मौखिक निर्देश भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी) के तहत परिभाषित अपराध के बराबर है।उनके अनुसार, चुनाव आयुक्त द्वारा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालयों में लौटने का निर्देश देना हरियाणा के मुख्यमंत्री के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप के समान है।

(12) निर्वाचन अधिकार को धारा 171-ए आई. पी. सी. में *अन्य बातों* के साथ-साथ मतदान करने या चुनाव में मतदान करने से बचने के लिए परिभाषित किया गया है।जब चुनाव आयुक्त ने बिना कोई कारण बताए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया, तो यह माननीय मुख्यमंत्री को सिरसा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के बराबर है, जहां उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी के हलफनामे के अनुसार, चुनाव आयुक्त का कोई निर्देश नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।लेकिन यह तथ्य कि श्री भास्कर चटर्जी ने शपथ पत्र में कहा था कि चुनाव आयुक्त ने विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री को कठोर कार्रवाई करने के खतरे में तुरंत राज्य मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया था, निश्चित रूप से श्री ओम प्रकाश चौटाला के चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा।दुर्भाग्य से चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर चटर्जी द्वारा किए गए बयानों और हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव श्री विजय वर्धन के हलफनामे में किए गए बयानों और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दायर हलफनामे में किए गए बयानों को यह कहने के अलावा इनका खंडन करने

का विकल्प नहीं चुना कि "भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे, वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने और सभी संबंधित लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए थे।" इस कथन का कोई विस्तार नहीं है।पूरी निष्पक्षता से, चुनाव आयुक्त को उन कारणों को बताना चाहिए था जिन्होंने उन्हें श्री ओ. पी. चौटाला को भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ने और राज्य मुख्यालय लौटने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया, जिससे श्री ओ. पी. चौटाला, जो हरियाणा राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार पद पर हैं, को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा सके।

(14) इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग को कानून के ढांचे के भीतर काम करना है और इसके द्वारा पारित किसी भी आदेश का पता किसी मौजूदा कानून से लगाया जाना चाहिए।इस मामले के तथ्यों पर, यह बहुत स्पष्ट है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है और न ही इसमें संदेह किया जा सकता है कि चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह ने हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय लौटने का निर्देश देते हुए केवल मौखिक आदेश दिए हैं।यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।चुनाव आयुक्त को अपना निर्देश लिखित में देना चाहिए था ताकि कोई अस्पष्टता न हो।ऐसा नहीं है कि चुनाव आयुक्त के लिए मौखिक आदेश के बजाय लिखित आदेश या संचार भेजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।राज्य में चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोनों को फैक्स मशीनें प्रदान की गई हैं।श्री जे. एम. लिंगहोद को फैक्स पर आदेशों को संप्रेषित करने से किस बात ने रोका, यह केवल उन्हें ही सबसे अच्छी तरह से पता है।श्री जे. एम. लिंगदोह द्वारा मौखिक निर्देश देने की कार्रवाई निंदा के योग्य और निंदनीय है।चुनाव आयोग को उचतम प्राधिकारी (सुपर अथॉरिटी) के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।इसे कानून की सीमाओं के भीतर काम करना होगा।इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता।चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है जिसके कारण उन्हें निर्वाचित व्यक्ति को इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया गया।
राज्य के लोगों के प्रतिनिधि और जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, विशेष रूप से जब चुनावी प्रक्रिया में हिंसा का कोई आरोप ना तो मीडिया में दर्ज किया गया हो ना ही मौखिक निर्देश में कहा गया है।

(15) इसके अलावा मुझे यह समझ में नहीं आता कि किस अधिकार के तहत चुनाव आयुक्त ने माननीय मुख्यमंत्री को राज्य मुख्यालय लौटने का मौखिक निर्देश जारी किया था।क्या इस स्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सिरसा जाना संभव होगा, विशेष रूप से जब उन्हें हरियाणा राज्य के मुख्यालय चंडीगढ़ छोड़ने से रोका गया था।श्री जे. एम. लिंगदोह का हलफनामा कोई जवाब नहीं देता है।चुनाव आयुक्त के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत के समक्ष उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को पेश करे जिन्होंने उसे इस तरह का अप्रत्याशित निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया।श्री जे. एम. लिंगदोह न्यायालय के प्रति इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे।माननीय मुख्यमंत्री के लिए यह महसूस करने का पूरा औचित्य है कि उन्हें चुनाव आयुक्त की कार्रवाई से अपमानित किया गया है और उन्हें चोट लगी है।

(16) इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि श्री ओ. पी. चौटाला ने क्या कार्य किया है जिससे चुनाव आयुक्त को उन्हें भिवानी संसदीय क्षेत्र छोड़ने और राज्य मुख्यालय लौटने का निर्देश देने के लिए मजबूर होना पड़ा।चुनाव आयुक्त ने इस अदालत में दायर

हलफनामे में अपने आरोपों का समर्थन नहीं किया।इसके अलावा उन्होंने गुण-दोष के आधार पर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की ताकि बाद के चरण में उनके मामले में पूर्वाग्रह से बचा जा सके।यह अदालत के लिए उचित नहीं है।जब अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया तो उन्होंने सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा होगा, जिसने उन्हें ऐसा मौखिक निर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए वे इतने उच्च और जिम्मेदार पद पर रहते हुए जारी करने के लिए अधिकृत नहीं थे।मौखिक आदेशों को कानूनी प्रावधानों का कोई समर्थन नहीं है।अगर कोई यह सोचता है कि श्री जे. एम. लिंगदोह ने सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में काम किया है और कोई भी आदेश मौखिक या लिखित रूप से जारी कर सकते हैं तो किसी को भी दोष नहीं मिल सकता है।कानून किसी भी प्राधिकरण को मौखिक आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो।आदेश लिखित होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए और ऐसे आदेशों के लिए आधार बताए जाने चाहिए।यह कानून का एक बुनियादी नियम है।अन्यथा, चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मौखिक रूप से टेलीफोन पर लिखित रूप में पुष्टि भेजनी चाहिए थी।श्री जे. एम. लिंगदोह की कार्रवाई के संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए।मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्तों के परामर्श से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करके चुनाव आयोग की शक्तियों के इस तरह के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(17) इस संदर्भ में, न्यायपीठ *ने* मोहिंदर सिंह गिल और अन्य *बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई* दिल्ली *और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय* के निर्णय के संदर्भ दिया जा सकता है (1), पृष्ठ 431 पर जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः—

> अनुच्छेद 324, जिसे हमने पहले निर्धारित किया है, एक पूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के लिए पूरी जिम्मेदारी निहित करता है और इसलिए, उस कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियां।यह सच है कि अनुच्छेद 324 को संवैधानिक योजना और 1950 के अधिनियम और 1951 के अधिनियम के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। श्री राव इस हद तक सही हैं कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि सक्षम कानून बनाया जाता है और अनुच्छेद 327 में इसकी कल्पना की जाती है, तो आयोग खुद को निर्वाचित नियमों से मुक्त नहीं कर सकता है।आखिरकार जैसा कि मैथ्यू, जे. ने इंदिरा गांधी (ऊपर) (पी 523) (एससीसी पी. 136, पारस 335-6) में कहा हैः
>
> भारती के मामले मे पीठ में बहुमत रखने वाले वाले न्यायाधीशों की राय में, कानून का शासन लोकतंत्र के अलावा संविधान की एक बुनियादी संरचना है।कानून का शासन किसी भी क्षेत्र में मनमानी आधिकारिक कार्रवाई को छोड़कर सरकार के पूरे दायरे में कानून की भावना की व्यापकता को स्वीकार करता है।और आयोग पर वैध कानून की सर्वोच्चता स्वयं तर्क देती है।हमारे सांविधिक क्रम में कोई भी एक साम्राज्य नहीं है।यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि आयुक्त अनुच्छेद 324 द्वारा सशस्त्र कानून की अवहेलना नहीं कर सकता है।इसी तरह, उसके कार्य निष्पक्षता के मानदंडों के अधीन हैं और वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है।अनियंत्रित शक्ति हमारी प्रणाली के लिए पराई है।
>
> फिर भी, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनके लिए अधिनियमित कानून ने

प्रावधान नहीं किया है।विधायक भविष्यवक्ता नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिकतावादी हैं।इसलिए, यह है कि संविधान ने आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किया है।उस शक्ति का प्रयोग स्वयं बिना सोचे-समझे *या दुर्भावनापूर्ण* तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, न ही मनमाने ढंग से और न ही पक्षपात के साथ, बल्कि कानून के शासन के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रपति की अधिसूचना या मौजूदा कानून को बाधित नहीं करना चाहिए।अधिक निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कम अनकहा छोड़ने के लिए अपर्याप्त है।हमारे विचार में अनुच्छेद 324 उन क्षेत्रों में काम करता है जहां कानून नहीं है और शब्द, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के साथ-साथ 'सभी चुनावों का संचालन' सबसे खराब शब्द हैं।स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है, जो कि बहुत अधिक रहस्यवादी हो सकता है जिसे सटीक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया है कि (1978 (एल) एस. सी. सी. 405) यह एक संवैधानिक तानाशाह और बिना जवाबदेही का क्षेत्र बनाएगा, एक फ्रेंकस्टीन का राक्षस जो प्रणाली को निर्वाचित प्रतिनियुक्ति में बदल सकता है-ऐसी घटनाओं के उदाहरण इतिहास के आँसू हैं ।इसका समाधान यह हो सकता है कि न्यायिक शाखा, उचित स्तर पर, अपनी सौम्य शक्ति की शक्ति के साथ और कानूनी दिशानिर्देशों के प्रमुख तारों के भीतर दोषपूर्ण एवम्, धोखा देने वाली कार्रवाई को रद्द कर सकती है और प्रक्रिया में व्यवस्था ला सकती है।चाहे हम लोकतंत्र को छोटा करें या उसका उपहास करें, यह उतना ही उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जितना कि ग्रेट नेशनल पार्चमेंट पर।दूसरा, जब आयुक्त जैसे उच्च पदाधिकारी के पास व्यापक शक्तियां होती हैं तो कानून उससे निष्पक्ष और कानूनी रूप से कार्य करने की अपेक्षा करता है।अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को तेजी से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।इसके अलावा, जैसा कि त्रेंद्र और हरिशंकर के विवेक में माना गया है कि एक उच्च पदाधिकारी में निहित विवेक पर उचित रूप से विश्वास किया जा सकता है कि इसका उपयोग ठीक से किया जाए, न कि विकृत रूप से।यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय के पास अधिनियम को रद्द करने की शक्ति है।यह अच्छी तरह से स्थापित है और इसके लिए आगे के मामले में कानूनी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।इसके अलावा, चंद्रचूड़, जे. की चेतावनी को याद रखना उपयोगी है।

लेकिन मतदाता इस उम्मीद में जीते हैं कि एक पवित्र शक्ति का इतना स्पष्ट रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और इतिहास की चलती हुई उंगली उन परिणामों के बारे में चेतावनी देती है जो अनिवार्य रूप से तब होते हैं जब पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है।विकृति का डर शक्ति की परीक्षा नहीं है।"

(18) लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एफ के तहत संज्ञेय अपराध के लिए श्री जे. एम. लिंगदोह पर मुकदमा चलाने का निर्देश दे सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 171-एफ के तहत दंडनीय अपराध गैर-संज्ञेय है।इसलिए, उक्त अपराध के लिए श्री लिंगदोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कोई निर्देश नहीं हो सकता है।

(19) अगला सवाल जो दोलन करता है कि क्या यह न्यायालय मजिस्ट्रेट को श्री जे. एम.

लिंगदोह द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश दे सकता है।चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत परिभाषित एक लोक सेवक हैं।धारा 21 के खंड 11 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे चुनाव कराने का अधिकार है, वह लोक सेवक है।इसलिए, श्री जे. एम. लिंगदोह एक लोक सेवक हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 न्यायालय को संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत व्यक्ति के मामले में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है।श्री जे. एम. लिंगदोह संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत हैं क्योंकि यह केंद्र का कर्तव्य है।

सरकार कानून के प्रावधानों के तहत चुनाव कराएगी और उसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव सह-आयुक्त की सिफारिशों पर ही पद से हटाया जा सकता है।भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रदान की गई केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।इसलिए चुनाव आयुक्त को केवल केंद्र सरकार ही हटा सकती है।अतः धारा 197 सी. आर. पी. सी. प्रयोग में आता है।जब मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में प्रावधान किया गया है।, मैं मजिस्ट्रेट को चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश नहीं दे सकता।

(20) इस मामले के दृष्टिकोण से, मैं चुनाव आयुक्त श्री जे. एम. लिंगदोह पर मुकदमा चलाने का कोई निर्देश नहीं दे सकता, हालांकि मैं संतुष्ट हूं कि श्री जे. एम. लिंगदोह की कार्रवाई कानून के तहत नहीं है और यह राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के चुनावी अधिकार का भी उल्लंघन है, जो हरियाणा राज्य के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

(21) अपनी पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास श्री कांति प्रकाश भल्ला, जिन्होंने इस न्यायालय को अपना प्रतिनिधित्व दिया या किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में कानून के अनुसार अभियोजन शुरू करने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

(22) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, तीसरी याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा